न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 43/2017 (उदयपुर आर्डर)

सुन्दरलाल पिता फूलचन्द जी कलाल, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. भेरा पिता कन्ना जी कलाल, निवासी सिन्दु (मृतक) के बजाय :–

1/1. गोपाल पिता भेरा जी कलाल, निवासी पालीवाल कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड़, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. लक्ष्मीलाल पिता भेरा जी कलाल, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती लीला पिता भेरा पत्नी सुखलाल जी कलाल, निवासी मेड़ता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. मु. लेहरीबाई पत्नी भेरा जी कलाल, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. राजु पिता जमनालाल जी कलाल, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. श्रीमती सुनीता पिता जमनालाल जी कलाल, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/7. श्री पायल पिता जमनालाल पत्नी दिने ा कलाल, निवासी डबोक चौराहा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/8. मु. कमला पत्नी जमनालाल जी कलाल, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. पटवारी हल्का सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

4. नन्दलाल पिता फूलचन्द जी कलाल, निवासी सिन्दु, हाल देवली, छाया मार्केट, जहाजपुर, चुंगीनाका के पास, तहसील देवली, जिला टोंक (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली दिनांक 15.12.2017 प्रकरण ... 13/17

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 08–11–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिन्दु में आराजी नंबर 729, 3183/729 किता 2 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। आराजी नंबर 729 में प्रार्थी का 2/3 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा है तथा कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है, विपक्षी संख्या 4 कई वर्शो से देवली में रहता है, जिससे उसका कब्जा नहीं है। आराजी नंबर 3183/729 विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज है, जिसकी नक ो में तरमीम नहीं होने के कारण विपक्षी संख्या 1 नाजायज लाभ उठाकर आराजी नंबर 729 के उत्तरी भाग पर मारोमार निर्माण कार्य भ्रारू कर दिया है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि उसके द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर निर्माण किया जा रहा है। प्रार्थी ने मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15–12–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होने के आधार पर प्रथम दृश्टया केस रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में मानने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया कि नक ो में तरमीम नहीं है एवंबिना तरमीम नहीं कहा जा सकता कि रेस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:41 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 के खाते की जमीन कौन सी है। ऐसी स्थिति में जब तक तरमीम न हो जाये रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में प्रथम दृश्टया केस नहीं माना जा सकता। बंटवारे की डिक्री अनुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम बंटवारे में आयी भूमि नक ो में नहीं द ार्यी गयी है, फिर भी सुविधा का संतुलन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में मानने में अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट का धारा 212 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि पक्षकारों के मध्य बंटवारा हो चुका है तथा भूमि अलग–अलग खाते होकर पक्षकारान अपनी–अपनी भूमि पर काबिज हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना है कि विवादित आराजी का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार है एवं यह भूमि उसे बंटवारे की डिक्री से प्राप्त हुई है एवं इस आधार पर अस्थायी निशेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में मानते हुए अपीलान्ट का धारा 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–12–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:41 IST
Reason: SelfAttested